

कृपया अपना नवीनतम फोट यहा चस्पा दें

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

.....राजस्थान राज्य..... निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम)राज्यसभा..... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं, रामनारायण **पुत्र स्व. श्री गंगाराम आयु 65 वर्ष, जो ग्राम पोस्ट रतकुड़िया, तहसील-भोपालगढ़, जिला-जोधपुर का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :-

- (1) मैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
- (2) मेरा नाम भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र (126), राजस्थान में भाग सं. 149 के क्रम सं. 1072 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9414134150, 98292229150, 02920-2272131 है।
- (4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्र. सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूप में)
1	स्वयं	AHQPD6461K	लागू नहीं	लागू नहीं
2	पति या पत्नी	AJZPD4688F	लागू नहीं	लागू नहीं
3	आश्रित 1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	आश्रित 2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	आश्रित 3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। - लागू नहीं

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :-

ATTESTED
28 JAN 2014
NOTARY PUBLIC
Jaipur (Raj) INDIA

रामनारायण गूडी

28 JAN 2014

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की की गई	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/हैं	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:
निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/हैं यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
Jaipur (Raj) INDIA

28 JAN 2014

रामलाल शर्मा

(7) मैं, मेरे पति या पत्नी औस सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पणी 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणी 3 - सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पणी 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाते हैं।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	1,00,000	50,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	38,739/- एस.बी.बी.जे. बैंक खाता संख्या 51089017853 सचिवालय, जयपुर तथा 76,296/- एस.बी.बी.जे. बैंक खाता संख्या 10002914214 राज. विधानसभा, जयपुर	1,28,012/- द जोधपुर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि., पीपाड़सिटी खाता संख्या 4747 तथा 35,024/- एस. एस.बी.बी.जे. भगत की कोठी, जोधपुर खाता संख्या 61022219966	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	भारतीय जीवन बीमा निगम, जोधपुर में 6,24,816/- रुपये की पॉलिसी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोल (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लागू नहीं	1. 25 तोला सोना कीमत-7,50,000 2. 100 तोला चाँदी कीमत-60,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	8,39,851/- रुपये	10,23,036/- रुपये	शून्य	शून्य	शून्य

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
Jaipur, RAJASTHAN, INDIA

28 JAN 2014

रजिस्ट्रार

आ. स्थावर आस्थियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्थियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नि	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	<p>खसरा नं. 64 ग्राम पावटा, तह. आहौर, जिला जालौर में हिस्सा 1/2 रकबा 8.73 हैक्टेयर, खसरा नं. 646/4 ग्राम नेवा, तह. फलौदी, जिला-जोधपुर में रकबा 24 बीघा, खसरा नं. 821 ग्राम बलाना, तह. सुमेरपुर, जिला-पाली में 1/2 हिस्सा, रकबा 8.00 हैक्टेयर, खसरा नं. 1629 ग्राम रतकुडिया, तह. भोपालगढ़ में हिस्सा 1/5, रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 2009, 440, 447, 505 ग्राम रतकुडिया, तह. भोपालगढ़ रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 1407/1 ग्राम रतकुडिया, तह. भोपालगढ़ रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 276 ग्राम खांगटा, तह. भोपालगढ़, में हिस्सा 1/5 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा</p>	<p>खसरा नं. 69, 184, 427, 535, 764, 1027 ग्राम ढढेसरी, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर में 1/5 हिस्सा में रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 2195, 2197, 2199 ग्राम खारियाखंगार, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर में 1/5 हिस्सा में रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा, ग्राम ऊस्तारा, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर के खसरा नं. 557 की 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 559/1 की 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 563 की 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 646/3 की 15 बीघा, खसरा नं. 646/15 की 15 बीघा, खसरा नं. 704/6 की 15 बीघा, खसरा नं. 556 की 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 559 की 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 561 की 18 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 573 की 11 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 574 की 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 575 की 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 628 की 13 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 630/1 की 15 बीघा, खसरा नं. 630/2 की 15 बीघा, खसरा नं. 562 की 4 बीघा 18 बिस्वा में अभ्यर्थी की पत्नि का 1/5 हिस्सा तथा खसरा नं. 646/6 की 11 बीघा 5 बिस्वा भूमि में अभ्यर्थी की पत्नि का 1/4 हिस्सा है, ग्राम नोखा चांदावता, तह. मेडता, जिला नागौर के खसरा नं. 1035/71 की 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1037/80 की 18 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से अभ्यर्थी की पत्नि का 1/2 हिस्सा है, ग्राम चौपासनी जागीर, तह. व जिला जोधपुर में खसरा नं. 80 की 8 बीघा एवं खसरा नं. 105 की 15 बिस्वा में अभ्यर्थी की पत्नि का 1/5 हिस्सा है।</p>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	122 बीघा 10 बिस्वा	52 बीघा 14 बिस्वा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ATTESTED

28 JAN 2014

NOTARY PUBLIC
JALOUR (Pal) INDIA

(Handwritten Signature)

क्या विरासत में आई संपत्ति है	हॉ निम्न है :- खसरा नं. 1629 ग्राम रतकुड़िया, तह. भोपालगढ़ में हिस्सा 1/5, रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 2009, 440, 447, 505 ग्राम रतकुड़िया, तह. भोपालगढ़ रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 1407/1 ग्राम रतकुड़िया, तह. भोपालगढ़ रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा	खसरा नं. 69, 184, 427, 535, 764, 1027 ग्राम ढढेसरी, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर में 1/5 हिस्सा में रकबा 36 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 2195, 2197, 2199 ग्राम खारियाखंगार, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर में 1/5 हिस्सा में रकबा 30 बीघा 19 बिस्वा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	दिनांक 11.12.1973 को ग्राम पावटा, तहसील आहौर, जिला जालौर की खसरा नं. 64 की भूमि, दिनांक 10.03.1992 को नेवा, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर की खसरा नं. 646/4 की भूमि, दिनांक 16.11.1967 को ग्राम बलाना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली की खसरा नं. 821 की भूमि, दिनांक 30.05.1958 को ग्राम खांगटा, तहसील भोपालगढ़ की खसरा नं. 276 की भूमि	ग्राम ऊरतरा, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर के खसरा नं. 559/1 एवं 563 की भूमि दिनांक 17.04.1985 को, खसरा नं. 646/3 की भूमि दिनांक 07.11.1986 को, खसरा नं. 646/15 की भूमि दिनांक 20.09.1986 को, खसरा नं. 704/6 की भूमि दिनांक 21.07.1987 को, खसरा नं. 556 की भूमि दिनांक 22.09.1988 को, खसरा नं. 559 की भूमि दिनांक 22.09.1988 को, खसरा नं. 561 की भूमि दिनांक 21.09.1983 को, खसरा नं. 573 व 574 की भूमि 20.11.1985 को, खसरा नं. 575, 628, 630/1, 630/2 की भूमि 29.06.1983 को, खसरा नं. 646/6 की भूमि दिनांक 01.08.1996 को, खसरा नं. 562 की भूमि दिनांक 23.03.1989 को, ग्राम नोखा चांदावता, तह. मेड़ता, जिला नागौर के खसरा नं. 1035/71 एवं 1037/80 की भूमि सन् 1980 में क्रय की गई। ग्राम चौपासनी जागीर, तह. व जिला जोधपुर में खसरा नं. 80 व 105 की भूमि की क्रय दिनांक 14.01.1987 है, जिसकी कुल भूमि 8 बीघा 15 बिस्वा का 1/5 हिस्सा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	दिनांक 11.12.1973 को क्रय की गई भूमि की लागत 9800/- रुपये, दिनांक 10.03.1992 को क्रय की गई भूमि की लागत 19,500/- रुपये, दिनांक 16.11.1967 को क्रय की गई भूमि की लागत 3,000/- रुपये एवं दिनांक 30.05.1958 को क्रय की गई भूमि की लागत 280/- रुपये	ग्राम ऊरतरा, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर के खसरा नं. 557 की क्रय की गई भूमि की लागत 2700/- रुपये, खसरा नं. 559/1 व 563 की लागत 1730/- रुपये, खसरा नं. 646/3 की लागत 3100/- रुपये, खसरा नं. 646/15 की भूमि की लागत 3100/- रुपये, खसरा नं. 704/6 की भूमि की लागत 3300/-, खसरा नं. 556 की भूमि की लागत 590/- रुपये, खसरा नं. 559 की भूमि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं


ATTESTED

28 JAN 2014

रमनलाल इश्टी

NOTARY PUBLIC
Jaipur (Raj.) INDIA


		की लागत 1100/- रुपये, खसरा नं. 561 की भूमि की लागत 3500/- रुपये, खसरा नं. 573 व 574 की भूमि की लागत 3550/- रुपये, खसरा नं. 575 की लागत 2950/- रुपये, खसरा नं. 628 की लागत 2600/-, खसरा नं. 630/1 की भूमि की लागत 2810/-, खसरा नं. 630/2 की लागत 2810, खसरा नं. 646/6 की लागत 16000/-, खसरा नं. 562 की लागत 1060/- एवं ग्राम नोखा चांदावता, तह. मेड़ता, जिला नागौर के खसरा नं. 1035/71 की भूमि की लागत 2500/- एवं खसरा नं. 1037/80 की लागत 3000/- रुपये थी। ग्राम चौपासनी जागीर, तह. व जिला जोधपुर की खसरा नं. 80 व 105 की लागत मूल्य 3,500/- रुपये हैं।			
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	ग्राम पावटा, तहसील आहौर, जिला जालौर के खसरा नं. 64 की भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 5,20,000/- रुपये, ग्राम नेवा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर के खसरा नं. 646/4 की भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 6,00,000/- रुपये, ग्राम बलाना, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली के खसरा नं. 821 की भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 7,20,000/- रुपये, ग्राम खांगटा, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर के खसरा नं. 276 की भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 60,000/- रुपये, खसरा नं. 1629 की भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 20,000/- रुपये, खसरा नं. 2009, 440, 447, 505 की भूमि का बाजार मूल्य 7,00,000/- रुपये, खसरा नं. 1407/1 की भूमि का बाजार मूल्य 1,70,000/- रुपये,	ग्राम ढढेसरी, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर के खसरा नं. 69, 184, 427, 535, 764, 1027 की भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 2,15,000/- रुपये, ग्राम खारियाखंगार, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर के खसरा नं. 2195, 2197, 2199 की भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 2,50,000/- रुपये, ग्राम ऊरतरा, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर के खसरा नं. 557 की भूमि का बाजार मूल्य 10,000/- रुपये, खसरा नं. 559/1 व 563 की भूमि का बाजार मूल्य 28,000/- रुपये, खसरा नं. 646/3 की भूमि का बाजार मूल्य 60,000/- रुपये, खसरा नं. 646/15 की भूमि का बाजार मूल्य 60,000/- रुपये, खसरा नं. 704/6 की भूमि का बाजार मूल्य 60,000/- रुपये, खसरा नं. 556 की भूमि का बाजार मूल्य 10,000/- रुपये, खसरा नं. 559 की भूमि का बाजार मूल्य 18,000/- रुपये, खसरा नं. 561 की भूमि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



ATTESTED

28 JAN 2014
NOTARY PUBLIC
JAISALMER (RAJ) INDIA

रमनराज ३३



		का बाजार मूल्य 70,000/- रुपये, खसरा नं. 573 व 574 की भूमि का बाजार मूल्य 70,000/- रुपये, खसरा नं. 575 की भूमि का बाजार मूल्य 25,000/- रुपये, खसरा नं. 628 की भूमि का बाजार मूल्य 50,000/- रुपये, खसरा नं. 630/1 की भूमि का बाजार मूल्य 60,000/- रुपये, खसरा नं. 630/2 की भूमि का मूल्य 60,000/- रुपये, खसरा नं. 646/6 की भूमि का बाजार मूल्य 50,000/- रुपये, खसरा नं. 562 की भूमि का बाजार मूल्य 15,000/- रुपये, ग्राम नोखा चांदावता, तह. मेडता, जिला नागौर के खसरा नं. 1035/71 की भूमि का बाजार मूल्य 3,75,000/- रुपये एवं खसरा नं. 1037/80 की भूमि का बाजार मूल्य 4,70,000/- रुपये है। ग्राम चौपासनी जागीर, तह. व जिला जोधपुर की खसरा नं. 80 व 105 की बाजार मूल्य 35,00,000/- रुपये है।				
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागू नहीं	गंगाश्री रूपा वाटिका ग्राम चौपासनी जागीर, तह. व जिला जोधपुर में एक प्लॉट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	800 वर्गगज में 1/5 हिस्सा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	दिनांक 14.01.1987	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	200/- रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	65,000/- रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ATTESTED

28 JAN 2014

NOTARY PUBLIC
Jaipur (Raj.) INDIA

(Handwritten Signature)


	“अनुमानित चालू बाजार मूल्य”	शून्य	9,60,000/- रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	<ol style="list-style-type: none"> 7/एच/5, इन्दिरा गाँधी हाऊसिंग बोर्ड, जगतपुरा, जयपुर का मकान 14/11, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर का मकान प्लॉट नं. 105, महावीर बस्ती, तख्तगढ़, जिला पाली समाज कल्याण कॉलोनी, भोपालगढ़, जिला जोधपुर में प्लॉट हिस्सा 1/5 ग्राम रतकुडिया, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर में 11,000 वर्गफुट का प्लॉट एंव इसमें निर्मित 1280 वर्गफुट 	<ol style="list-style-type: none"> प्लॉट नं. 4, खसरा नं. 752, ग्राम चौखा, तह. व जिला जोधपुर प्लॉट नं. 125, खसरा नं. 1095, ग्राम सिन्धीपुरा, पीपाडसिटी, जिला जोधपुर ग्राम रतकुडिया, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर में आवादी की भूमि म. नं. 2/1913, हाऊसिंग बोर्ड, कुडीभगतासनी, तह. व जिला जोधपुरी प्लॉट नं. 5, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, गंगाश्री रूप वाटिका, ग्राम चौपासनी जागीर, तह. व जिला जोधपुर 	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	<ol style="list-style-type: none"> 4068 वर्गफुट 2543 वर्गफुट 1500 वर्गफुट 19050 वर्गफुट 	<ol style="list-style-type: none"> 11682 वर्गफुट 2500 वर्गफुट 1254 वर्गफुट 4426.69 वर्गफुट 23922 वर्गफुट 	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	4000 वर्गफुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	<ol style="list-style-type: none"> प्लॉट नं. 105, महावीर बस्ती, तख्तगढ़, जिला पाली में 1500 वर्गफुट प्लॉट की क्रय दिनांक 15.03.1976 समाज कल्याण कॉलोनी, भोपालगढ़, जिला जोधपुर में प्लॉट हिस्सा 1/5 की क्रय दिनांक 01.05.1999 14/11, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर का मकान की क्रय दिनांक 18.02.1987 7/एच/5, इन्दिरा गाँधी हाऊसिंग बोर्ड, जगतपुरा, जयपुर का मकान की क्रय दिनांक 15.02.2008 	<ol style="list-style-type: none"> प्लॉट नं. 4, खसरा नं. 752, ग्राम चौखा, तह. व जिला जोधपुर की क्रय दिनांक 03.09.2008 प्लॉट नं. 125, खसरा नं. 1095, ग्राम सिन्धीपुरा, पीपाडसिटी, जिला जोधपुर की क्रय दिनांक 05.08.2008 ग्राम रतकुडिया, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर में आवादी की भूमि की क्रय दिनांक 06.12.2007 म. नं. 2/1913, हाऊसिंग बोर्ड, कुडीभगतासनी, तह. व जिला जोधपुरी की क्रय दिनांक 18.08.2010 प्लॉट नं. 5, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, गंगाश्री रूप वाटिका, ग्राम चौपासनी जागीर, तह. व जिला जोधपुर की क्रय दिनांक 14.01.1987 	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	प्लॉट नं. 105, महावीर बस्ती, तख्तगढ़, जिला पाली में 1500 वर्गफुट प्लॉट की क्रय मूल्य	प्लॉट नं. 4, खसरा नं. 752, ग्राम चौखा, तह. व जिला जोधपुर का क्रय लागत मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ATTESTED

28 JAN 2014

NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA

28 JAN 2014



		3025/- रुपये	3,50,000/-			
		<p>2. समाज कल्याण कॉलोनी, भोपालगढ़, जिला जोधपुर में प्लॉट हिस्सा 1/5 क्रय मूल्य 20/- रुपये</p> <p>3. 14/11, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर का मकान का क्रय मूल्य 1,46,100/- रुपये</p> <p>4. 7/एच/5, इन्दिरा गाँधी नगर, हाऊसिंग बोर्ड, जगतपुरा, जयपुर के मकान का क्रय मूल्य 17,34,131/- रुपये</p>	<p>2. प्लॉट नं. 125, खसरा नं. 1095, ग्राम सिन्धीपुरा, पीपाडसिटी, जिला जोधपुर का क्रय लागत मूल्य 20,000/-</p> <p>3. ग्राम रतकुड़िया, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर में आबादी की भूमि का क्रय लागत मूल्य 200/-</p> <p>4. म. नं. 2/1913, हाऊसिंग बोर्ड, कुडीभगतासनी, तह. व जिला जोधपुरी का क्रय लागत मूल्य 46,64,892/-</p> <p>5. प्लॉट नं. 5, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, गंगाश्री रूप वाटिका, ग्राम चौपासनी जागीर, तह. व जिला जोधपुर का क्रय लागत मूल्य 5,31,600/-</p>			
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	"अनुमानित चालू बाजार मूल्य"	<p>1. प्लॉट नं. 105, महावीर बरती, तख्तगढ़, जिला पाली में 1500 वर्गफुट प्लॉट का कुल चालू बाजार मूल्य 3,58,500/- रुपये</p> <p>2. समाज कल्याण कॉलोनी, भोपालगढ़, जिला जोधपुर में प्लॉट हिस्सा 1/5 का कुल चालू बाजार मूल्य 2,50,000/- रुपये</p> <p>3. 14/11, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर का मकान का कुल चालू बाजार मूल्य 65,00,000/- रुपये</p> <p>4. 7/एच/5, इन्दिरा गाँधी नगर, हाऊसिंग बोर्ड, जगतपुरा, जयपुर के मकान का चालू बाजार मूल्य 34,00,000/- रुपये</p> <p>5. ग्राम रतकुड़िया, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर का पुरतैनी मकान कुल चालू बाजार मूल्य 10,00,000/- रुपये</p>	<p>1. प्लॉट नं. 4, खसरा नं. 752, ग्राम चौखा, तह. व जिला जोधपुर का बाजार मूल्य 30,00,000/-</p> <p>2. प्लॉट नं. 125, खसरा नं. 1095, ग्राम सिन्धीपुरा, पीपाडसिटी, जिला जोधपुर का बाजार मूल्य 2,00,000/-</p> <p>3. ग्राम रतकुड़िया, तह. भोपालगढ़, जिला जोधपुर में आबादी की भूमि का बाजार मूल्य 20,000/-</p> <p>4. म. नं. 2/1913, हाऊसिंग बोर्ड, कुडीभगतासनी, तह. व जिला जोधपुरी का बाजार मूल्य 50,00,000/-</p> <p>5. प्लॉट नं. 5, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, गंगाश्री रूप वाटिका, ग्राम चौपासनी जागीर, तह. व जिला जोधपुर का बाजार मूल्य 1,50,00,000/-</p>	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	1,42,98,500/- रुपये	2,96,36,000/- रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ATTESTED
 28 JAN 2014
 NOTARY PUBLIC
 Jaipur (Raj) INDIA

2/1/14/4/3/5

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

(टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आय-कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्त या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं कृषि

(ख) पति या पत्नी कृषि

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचेदिए अनुसार है :-

एम. ए. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर वर्ष 1971

(प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

ATTESTED

28 JAN 2014

रमनराजपुत्र

NOTARY PUBLIC
Jaipur (Raj) INDIA

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री रामनारायण
2	डाक का पूरा पता	ग्राम पोस्ट - रतकुड़िया, तहसील - भोपालगढ़, जिला - जोधपुर (राज.)-342606
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	विधानसभा संख्या-126, भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र-राजस्थान
4	उस राजनैतिक दल का नाम, जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सजा लिया है [ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	लागू नहीं
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	लागू नहीं

7का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	AHQPD6461K	लागू नहीं			
	(ख) पति या पत्नी :	AJZPD4688F	लागू नहीं			
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं			
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां कुल मूल्य	8,39,851/-	10,23,036/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख.	स्थावर आस्तियां					
	I. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	19,15,856/-	56,26,792/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	5,96,600/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत			लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	1,24,08,500	2,91,71,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	18,90,000	46,5,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ATTESTED

28 JAN 2014

NOTARY PUBLIC
Jaipur (Raj) INDIA

(Handwritten Signature)

9		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध (कु)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : एम. ए. जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर वर्ष 1971 (प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा/ विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 28.01.2014 को सत्यापित किया गया।

NOTARY PUBLIC
28 JAN 2014

अभिसाक्षी

- टिप्पणी: 1 शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी: 2 शपथ पत्र पर किसी शपथ कमशिनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पणी: 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी: 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

[फा. सं. एच.-11019 (6)/2012-वि. II]

डॉ. संजय सिंह, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का. आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया -

- (1) संख्यांक का. आ. 728 (अ), तारीख 8 मई, 2007
- (2) संख्यांक का. आ. 425 (अ), तारीख 23 फरवरी, 2011